भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4109

जिसका उत्तर गुरुवार, 07 अप्रैल, 2022 को दिया जाना है

उच्च न्यायालयों के कामकाज के लिए अनुमत भाषा

4109 श्री विवेक के. तन्खा :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अधिवक्ताओं/वादियों को उस विशेष राज्य के उच्च न्यायालय में उस राज्य की भाषा में अपना पक्ष रखने की अनुमति नहीं दी जाती है;

(ख) क्या सरकार इस बात से सहमत है कि क्षेत्रीय भाषा इसके संबंधित उच्च न्यायालय के कामकाज में एक आवश्यक घटक है; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसी समस्याओं को हल करने के लिए प्रस्तावित समाधान का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) : भारत के संविधान के अनुच्छेद 348(2) में कहा गया है कि किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में, जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है, हिन्दी भाषा का या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा ।

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 7 में कहा गया है कि किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त, हिन्दी या उस राज्य की राजभाषा का प्रयोग, उस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा पारित या दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत कर सकेगा और जहां कोई निर्णय, डिक्री या आदेश (अंग्रेजी भाषा से भिन्न) ऐसी किसी भाषा में पारित किया या दिया जाता है, वहां उसके साथ-साथ, उच्च न्यायालय के प्राधिकार से

निकाला गया अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद भी होगा ।

मंत्रिमंडल समिति के तारीख 21.05.1965 के निर्णय में यह नियत किया गया है कि उच्च न्यायालयों में अंग्रेजी से भिन्न किसी भाषा के प्रयोग से संबंधित किसी प्रस्ताव पर भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति प्राप्त की जानी चाहिए ।

संविधान के अनुच्छेद 348(2) के अधीन राजस्थान में उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में हिंदी के प्रयोग को वर्ष 1950 में प्राधिकृत किया गया था । ऊपर यथा उल्लिखित मंत्रिमंडल समिति के तारीख 21.05.1965 के निर्णय के पश्चात्, हिंदी के प्रयोग को भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से उत्तर प्रदेश (1969), मध्य प्रदेश (1971) और बिहार (1972) उच्च न्यायालयों में प्राधिकृत किया गया था ।

****